

सेवा में,


माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, मेरठ।


महोदय,


आज दिनांक-05.03.2019 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित वस्तुओं के दुकानों के स्थान की नीलामी के सम्बंध में माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के द्वारा गठित समिति की बैठक समिति अध्यक्ष, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०-01 के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। जनपद न्यायालय परिसर में स्थित दुकानों के वार्षिक ठेकों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं०-28/एए दिनांकित-17 मार्च 1958, परिपत्र संख्या-163/एए दिनांकित 8 नवम्बर, 1974 एवं परिपत्र संख्या-797/एडमिन(बी-1) सेक्शन दिनांकित-15 मार्च, 1994 पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जारी किए गये उक्त परिपत्रों के अनुसार सिविल कोर्ट कम्पाउंड में स्थित दुकानों के ठेकें नीलामी के द्वारा दिये जाने तथा परिसर में स्थित दुकानों के ठेके नीलामी प्रक्रिया द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतम बोली दाता के पक्ष में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपद एवं सत्र न्यायालय में स्थित विभिन्न दुकानों के ठेके की वित्तीय वर्ष 2019-2020 अर्थात दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक कि लिए निर्धारित वस्तुओं के विक्रय हेतु दुकानों के आवंटन की कार्यवाही खुली नीलामी के द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जाये।

उक्त क्रम में समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में सम्पादित हुई नीलाम प्रक्रिया की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह भी विदित हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में केवल 30 दुकानों को ही नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। दुकान सं० 30 लगायत 34 को ए०डी०आर० भवन के निर्माण के सापेक्ष नीलाम प्रक्रिया से बाहर किया गया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में ए०डी०आर० भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, को दृष्टिगत रखते हुए समिति सर्वसम्मति से यह भी राय व्यक्त करती है कि दुकान संख्या-30 लगायत 34 को गत वर्ष की भाँति वित्तीय वर्ष 2019-2020 में नीलाम प्रक्रिया से यदि श्रीमान् जी उचित समझे तो बाहर किया जा सकता है तथा उक्त प्रक्रिया दिनांक-27.03.2019 को सम्पादित करायी जा सकती है।

समिति के द्वारा नीलामी की कार्यवाही के सम्बंध में नियम व शर्तें निश्चित की गयी। नीलामी की सूचना अधिकतम लाभ तथा प्रसार हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाने तथा सूचना, नियम व शर्तें जनपद एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस बोर्ड व अन्य विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही की शर्तें व रिपोर्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित हैं।


(हरबंश नारायण)
सदस्य/नीलामी समिति/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-18, मेरठ।


(प्रभु नारायण पाण्डेय)
सदस्य/नीलामी समिति/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-12, मेरठ।


(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष/नीलामी समिति/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-01, मेरठ।

Approved.
28/3/19.

Distt. Judge
Meerut

नीलामी की शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-2020 के लिये चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 27-03-2019 को प्रातः 10:30 बजे जिला एवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार हैं—

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्वोरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2018-2019 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्वोरिटी-मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस-पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेंगे।

8
05/03/19

05/03/19

0

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।
15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेंगे।
16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा।
20. नीलामी प्रक्रिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध में सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।
22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।
23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।

(हरबंश नारायण)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-18, मेरठ


(प्रभु नारायण पाण्डेय)
सदस्य/नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-12, मेरठ


(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष/नीलामी समिति
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1, मेरठ


Approved
23/11/19
Distt. Judge
Meerut

Auction list of the shops situated in Civil Court Meerut premises for the Financial Year 2019-20

SL. No.	Shop No.	Nature of shop	Name of the Highest Bidder for F.Y. 2018-19	Max. Bid amount for F.Y. 2018-19	Amount of Security 20% F.Y. 2019-20	Min. Bid Amount for F.Y. 2019-20 10%	Max. Bid Amount for F.Y. 2019-20 10%
	1	Tea	Sri Nagendra Kr. Gupta	64600	13000	71060	
2	2	Paan	Sri Ameer Ahmad	80900	16200	88990	
3	3	Tea	Sri Zakir	107500	21500	118250	
4	4	Shakahari Bhojnalya	Sh. Mohd. Azeem	170000	34000	187000	
5	5	Tea	Smt. Neetu Gauswami	117250	23500	128975	
6	6	Bhojnalya	Sh. Jiley	140000	28000	154000	
7	7	Tea	Sh. Pawan Kumar	116200	23300	127820	
8	8	Halwai	Sri Ankur Rastogi	178000	35600	195800	
9	9	Bhojnalya	Sri Ankur Rastogi	153200	30700	168520	
10	10	Stationary	Sri Ramakant	126800	25400	139480	
11	11	Tea	vacant	112739	22600	124013	
12	12	Stationary	Sri Ishwar Singh	116300	23300	127930	
13	13	Tea	Sri Ishwar Singh	290300	58100	319330	
14	14	Photostate	vacant	187006	37500	205707	
15	15	Meetha Namkeen	Sri Devendra Kumar	134000	26800	147400	
16	16	Chat	vacant	107905	21600	118696	
17	17	Stationary	Sh. Aamir	131300	26300	144430	
18	18	Photostate	vacant	157025	31500	172728	
19	19	Coffee	vacant	109142	21900	120057	
20	20	Photostat	vacant	170071	34100	187079	
21	21	Fruit Chat	vacant	128843	25800	141728	
22	22	Paan	Sri Sanjay kumar	89200	17900	98120	
23	23	Juice	vacant	120890	24200	132979	
24	24	Paan	Sri Shyam Chaurasia	116700	23400	128370	
25	25	Paan	vacant	94600	19000	104060	
26	26	Photostate	Sri. Monu Chauchan	59000	11800	64900	
27	27	Paan	Sri Naveen Kumar	500000	1000000	550000	
28	28	JalPaan	vacant	248897	49800	273787	
29	29	Photostate	Sri Vipin Kumar	219600	44000	241560	
30	35	Paan	Sri Sukhbeer	24250	4900	26675	
Total				4372218	1775700	4809444	


 (हरबंश नारायण)
 सदस्य/नीलामी समिति/
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 न्यायालय सं०-18, मेरठ।


 (प्रभु नारायण पाण्डेय)
 सदस्य/नीलामी समिति/
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 न्यायालय सं०-12, मेरठ।


 (प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)
 अध्यक्ष/नीलामी समिति/
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 न्यायालय सं०-01, मेरठ।


Distt. Judge
Meerut